सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान

सी0एम0-युवा विवरणिका

*"हर कदम उद्यमिता की ओर,
हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर"*

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर/मिशन निदेशक,
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान मिशन कार्यालय, निर्यात भवन, 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ-226001

अधिक जानकारी हेतु कृपया एम.एस.एम.ई. पोर्टल http://msme.up.gov.in पर लॉग-इन करें। अथवा ई-मेल cmmyuva@gmail.com पर सम्पर्क करें।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
सी0एम0–युवा

- 295 बिलियन डॉलर की जी0एस0डी0वी0 के साथ उत्तर प्रदेश की तीसरी बड़ी अर्थ व्यवस्था है, जो राष्ट्रीय जी0डी0पी0 में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान करती है।
- प्रदेश की लगभग 25 करोड़ जनसंख्या में 56 प्रतिशत युवा हैं, जो प्रदेश के कार्य बल का निर्माण करते है।
- इस युवा प्रदेश के युवाओं की असीमित क्षमता को गति देने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अत्यन्त महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम–युवा) लागू किया गया है।
- इस अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 01 लाख सूक्ष्म उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों की स्थापना कराकर 01 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना।
- दस वर्षो में कुल 10 लाख उद्यम स्थापना के माध्यम से 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार युक्त बनाना।

1. योजना की मुख्य बाते

- कौशल प्रशिक्षण प्राप्त 21–40 वर्ष के युवाओं को उत्पाद/सेवा सम्बन्धी उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़ना।
- प्रतिवर्ष 01 लाख युवाओं को स्वरोजगार, 10 वर्षो में 10 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।

प्रथम चरण–

- रू0 5.00 लाख तक की परियोजनाओं हेतु 04 वर्षो तक 100 प्रतिशत ब्याज मुक्त कोलेटरल गांरटी मुक्त ऋण।
- सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, ओ0बी0सी0 को 12.5 प्रतिशत, एस0सी0/एस0टी0/दिव्यांग को 10 प्रतिशत तथा अकांक्षात्मक जिलों–चित्रकूट, चन्दौली, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती एवं बहराइच के लाभार्थियों की 10 प्रतिशत स्वंय का अंशदान जमा करना होगा।
- परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान एवं 04 वर्षो तक सी0जी0टी0एम0एस0ई0 प्रतिपूर्ति।
- परियोजना लागत में भूमि–भवन सम्मिलित नहीं होगा तथा कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में होना अनिवार्य होगा।

द्वितीय चरण–

- प्रथम चरण में लिये गये मूलधन/पेनल इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाला अभ्यर्थी पात्र होगा।
- रू0 10.00 लाख तक परियोजना स्थापित की जा सकेंगी, परन्तु रू0 7.5 लाख तक के ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान 03 वर्षो तक दिया जायेगा।
- ऋण में परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोन होना अनिवार्य होगा तथा इसमें वर्कशॉप/वर्कशेड की लागत शामिल की जा सकेगी।
- सी0जी0टी0एम0एस0ई0 कवरेज 03 वर्षो तक।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
सी0एम0-युवा

2. पात्रता की शर्ते

- आयु सीमा-21 से 40 वर्ष।
- शैक्षणिक योग्यता-न्यूनतम कक्षा-8 उत्तीर्ण, इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष को वरीयता।
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओ0डी0ओ0पी0 प्रशिक्षण योजना, एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 प्रशिक्षण योजना, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षित अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षाणिक संस्थान से स्किल सम्बन्धी सर्टीफिकेट/डिग्री/डिप्लोमा आदि प्राप्त हो।

3. आवेदन प्रक्रिया

- एम0एस0एम0ई0 पोर्टल https//msme.up.gov.in पर ऑन-लाइन आवदेन।
- जिला उद्योग विकास एवं उद्यमिता प्रोत्साहन केन्द्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षणोंपरान्त ऑनलाइन रूप से बैंको को प्रेशण।
- बैंको के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृति/वितरण की व्यवस्था।
- बैंको द्वारा ऑनलाइन रूप से मार्जिन मनी, ब्याज उपादान, सी0जी0टी0एम0एस0ई0 प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने की व्यवस्था।

4. विविध

- डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के सापेक्ष रू0 01 प्रति ट्रांज़ैक्शन तथा अधिकतम रू0 2000 प्रतिवर्ष का अतिरिक्त अनुदान प्रति लाभार्थी देय होगा।
- योजना में समस्त राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड/ग्रामीण बैंक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित सभी वित्तीय संस्थाएं ऋण वितरण हेतु पात्र।
- तम्बाकू उत्पाद, गुटखा पान मसाला अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ कार्बोनेटेड उत्पाद, पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैग (40 माइक्रॉन से कम) अथवा भारत/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पाद योजना में लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे।
- योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होगा। जिले स्तर पर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।
- योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होगा योजना का संचालन/अनुश्रवण इत्यादि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई मिशन निदेशक की अध्यक्षता में राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, प्रमुख सचिव एम0एस0एम0ई0 की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शासकीय समिति के माध्यम से किया जायेगा।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान

उत्तर प्रदेश सरकार

सहायक बैंक

Punjab & Sind Bank | SBI | pnb | बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda | Bank of India

Bank of Maharashtra | केनरा बैंक Canara Bank | इंडियन बैंक Indian Bank | सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India | Indian Overseas Bank

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India | यूको बैंक UCO BANK | Gramin Bank of Aryavart | प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक | बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank

RBL BANK | South Indian Bank | Nainital Bank | Karnataka Bank | kotak | IDFC FIRST Bank

IDBI BANK | ICICI Bank | HDFC BANK | FEDERAL BANK | CSB Bank

Bandhan Bank | AXIS BANK | YES BANK | J&K Bank | IndusInd Bank

AU Small Finance Bank | equitas Small Finance Bank | JANA Small Finance Bank | SHIVALIK Shivalik Small Finance Bank | ujjivan Small Finance Bank

UNITY Small Finance Bank | Utkarsh Small Finance Bank

विस्तृत जानकारी एवं आवदेन हेतु आज ही अपने जिले के उपायुक्त उद्योग,
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से सम्पर्क करें।

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर/मिशन निदेशक,
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान मिशन कार्यालय, 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ–226001
ई–मेल आई0डी0–**cmmyuva@gmail.com**